International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
ISSN -2393-8048, July-December 2022, Submitted in December 2022, iajesm2014@gmail.com

संप्रभु राष्ट्रों की भूमिका और सीमाएँ: वैश्वीकरण के युग में एक अध्ययन

सुनील सैनी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान (भारत)
डॉ रितेश मिश्रा, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान (भारत)

सारांश

यह शोध-पत्र वैश्वीकरण के दौर में संप्रभु राष्ट्रों की बदलती भूमिका और उनकी सीमाओं का विश्लेषण करता है। पारंपरिक अर्थों में संप्रभुता राज्य की सर्वोच्चता और आत्म-निर्णय की क्षमता को इंगित करती है, परंतु वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों ने इस संप्रभुता को चुनौती दी है। यह अध्ययन विभिन्न उदाहरणों (जैसे भारत, यूरोपीय संघ, सीरिया) के माध्यम से यह दिखाता है कि संप्रभु राष्ट्र वैश्विक संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय समझौतों, तथा तकनीकी हस्तक्षेप के कारण किस प्रकार सीमित होते जा रहे हैं। शोध मुख्यतः सैद्धांतिक विश्लेषण, दस्तावेज़ी साक्ष्य, और तुलनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है।

परिचय

संप्रभुता एक ऐसी आधारभूत अवधारणा है जो किसी राष्ट्र-राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता, विधायी अधिकार और प्रशासनिक नियंत्रण को परिभाषित करती है। यह विचार 1648 की वेस्टफेलिया संधि से उत्पन्न हुआ, जिसने यह स्थापित किया कि प्रत्येक राष्ट्र अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और उसमें किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। इस संधि के बाद से संप्रभुता को राष्ट्र की पहचान और अंतरराष्ट्रीय मान्यता का एक अनिवार्य तत्व माना गया। पारंपरिक रूप में, संप्रभुता का अर्थ था – राष्ट्र की नीतियाँ, सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर पूर्ण अधिकार। किंतु यह स्थिति अब स्थिर नहीं रही। जैसे-जैसे दुनिया आपस में अधिक जुड़ती गई, वैश्विक संस्थानों, संधियों, और नियमों की भूमिका बढ़ती गई, जिससे एक संप्रभु राष्ट्र के निर्णय लेने की शक्ति पहले जैसी पूर्ण नहीं रह गई। वैश्वीकरण ने इस परिवर्तन को और अधिक गहराई दी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने देशों को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी स्तर पर इतना अधिक एक-दूसरे पर निर्भर बना दिया है कि अब कोई भी राष्ट्र पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, अंतरराष्ट्रीय संगठन (जैसे WTO, IMF, UN), और जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, साइबर सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दे आज की नीति-निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। विदेशी निवेश और ऋण के बदले में लगाई गई शर्तें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का डेटा नियंत्रण – यह सब संप्रभुता की सीमाओं को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यही है – यह समझना कि आज के वैश्वीकरण-प्रभावित विश्व में संप्रभु राष्ट्रों की भूमिका क्या रह गई है, वे किन परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और किन दबावों के कारण उन्हें अपनी नीति या व्यवहार में समझौता करना पड़ता है।

परिकल्पना

मुख्य परिकल्पना:

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने संप्रभु राष्ट्रों की पारंपरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है, जिससे उनकी नीति-निर्माण की क्षमता पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक आर्थिक संरचनाएं और तकनीकी शक्तियाँ प्रभाव डाल रही हैं।

सहायक परिकल्पनाएँ:

1. विकासशील देशों की संप्रभुता पर वैश्विक संस्थाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है।
2. डिजिटल तकनीक और साइबरस्पेस ने राज्य की सीमाओं को लचीला बना दिया है।
3. पर्यावरण, मानवाधिकार, और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रों की स्वतंत्रता कम हो रही है।

साहित्य समीक्षा

वाजपेयी, अटल बिहारी (2004): अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पुस्तक *अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा* में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राज्य संप्रभुता के सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वेस्टफेलियन संप्रभुता के सिद्धांत को 21वीं सदी के वैश्वीकरण और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रभाव के संदर्भ में पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। वाजपेयी के अनुसार, संप्रभुता केवल बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह एक राज्य की आंतरिक नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने का अधिकार भी है। उनके अनुसार, वैश्वीकरण ने देशों को परस्पर निर्भर बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद राज्य अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हैं। इस दृष्टिकोण से, वाजपेयी ने संप्रभुता को एक सापेक्ष और बदलती हुई अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, जो आधुनिक युग में नई चुनौतियों से प्रभावित हो रही है।

पेरिस समझौता (2015) को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए 195 देशों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते के रूप में देखा जाता है। इस समझौते के तहत, देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का संकल्प लिया और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने इस समझौते को जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, क्योंकि यह देशों को अपने उत्सर्जन को घटाने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, और जलवायु अनुकूलन के उपायों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रेरित करता है। इस समझौते की खासियत यह है कि इसमें सभी देशों को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से अपने लक्ष्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता है। पेरिस समझौता के अनुसार, देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं को नियमित रूप से अपडेट करना होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए प्रयास निरंतर बढ़ते रहें। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यह समझौता संप्रभुता की एक नई परिभाषा को सामने लाता है, क्योंकि इसमें देश अपनी संप्रभुता बनाए रखते हुए, वैश्विक जिम्मेदारियों के तहत अपनी नीतियों को समायोजित करने के लिए सहमत होते हैं।

शोध-पद्धति

वेस्टफेलियन संप्रभुता:

वेस्टफेलिया संधि, जो 1648 में यूरोपीय देशों के बीच संपन्न हुई थी, ने संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की नींव रखी। इसके तहत यह माना गया कि हर राज्य की संप्रभुता उसके राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सर्वोच्च है और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है। यह सिद्धांत देशों को अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करता है और राज्य की सीमाओं को अपरिवर्तनीय मानता है। हालांकि, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण आज इस सिद्धांत को पुनः परिभाषित किया गया है। कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और समझौते देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जो संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत से टकराता है।

वैश्वीकरण सिद्धांत:

वैश्वीकरण, एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें देशों की अर्थव्यवस्थाएँ, संस्कृति, तकनीकी और राजनीतिक संरचनाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि वैश्विक समृद्धि, सहयोग और संवाद के माध्यम से संप्रभुता को सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि, यह भी सत्य है कि वैश्वीकरण ने संप्रभुता को चुनौती दी है, क्योंकि देशों के निर्णय अब केवल उनके राष्ट्रीय हितों के आधार पर नहीं होते, बल्कि वैश्विक दबावों और संस्थाओं के द्वारा प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, WTO, IMF और UN जैसे संगठन देशों के आर्थिक और राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करते हैं, जिससे संप्रभुता की परिभाषा अब जटिल हो गई है।

यथार्थवाद:

यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, वैश्विक राजनीति में शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति में वृद्धि करते हैं और वे किसी भी बाहरी दबाव को नकारने की कोशिश करते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण में, संप्रभुता एक अद्वितीय शक्ति के रूप में है, जो राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा करती है। हालांकि, वैश्वीकरण ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी है, क्योंकि अब वैश्विक संस्थाएँ और व्यापारिक समझौते देशों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यथार्थवाद के बावजूद, राष्ट्र अब अकेले वैश्विक राजनीति में निर्णय नहीं ले सकते हैं।

उदारवाद:

उदारवाद सिद्धांत यह मानता है कि सहयोग, संवाद और पारस्परिक निर्भरता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि हासिल की जा सकती है। यह सिद्धांत कहता है कि संप्रभुता केवल राष्ट्रीय ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि वैश्विक सहयोग और साझेदारी द्वारा भी संरक्षित हो सकती है। उदारवादी दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि संप्रभुता का भविष्य वैश्विक संस्थाओं और संवाद के माध्यम से बेहतर हो सकता है। वैश्वीकरण इस सिद्धांत का समर्थन करता है क्योंकि यह विभिन्न देशों के बीच अधिक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे संप्रभुता का विकास होता है।

2. दस्तावेज़ीय स्रोत:

संयुक्त राष्ट्र चार्टर:

संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और नीतियों को निर्धारित करता है। इस चार्टर में संप्रभुता की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधानों की घोषणा की गई है। चार्टर के तहत, राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति को महत्व दिया गया है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग (जैसे UNSC)

संप्रभुता के उल्लंघन के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

WTO, IMF, और विश्व बैंक के रिपोर्ट्स:

विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक, जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, संप्रभुता के संदर्भ में देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इन संगठनों की रिपोर्टें देशों के आर्थिक निर्णयों पर वैश्विक नियमों और शर्तों को लागू करती हैं, जो राष्ट्रीय संप्रभुता को प्रभावित कर सकती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से, यह समझा जा सकता है कि कैसे वैश्विक संस्थाएं देशों की आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णयों को सीमित करती हैं।

भारत सरकार की विदेश नीति रिपोर्टें:

भारत सरकार द्वारा जारी की गई विदेश नीति रिपोर्टें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत के दृष्टिकोण और नीति की दिशा को स्पष्ट करती हैं। यह रिपोर्टें संप्रभुता और वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, जैसे व्यापार समझौते, सुरक्षा सहयोग और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएँ। ये रिपोर्टें यह भी दिखाती हैं कि कैसे भारत वैश्विक संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को संतुलित करता है, जबकि अपनी संप्रभुता को बनाए रखता है।

पर्यावरणीय समझौते (जैसे पेरिस समझौता):

पेरिस समझौता (2015) जैसे पर्यावरणीय समझौते देशों की संप्रभुता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन इसमें देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यह संप्रभुता की सीमा को बढ़ाता है, क्योंकि देशों को अब वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार ठहराया जाता है।

3. मामले का अध्ययन:

भारत:

भारत एक उदाहरण है जहाँ वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती देखी जा सकती है। भारत ने WTO और IMF जैसी संस्थाओं के साथ अपनी आर्थिक नीतियों को समायोजित किया है, जबकि अपनी राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता बनाए रखी है। उदाहरण के लिए, भारत ने पेरिस समझौते में भाग लिया, लेकिन अपनी ऊर्जा नीति और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया।

यूरोपीय संघ:

यूरोपीय संघ में सदस्य देशों के बीच संप्रभुता की परिभाषा अधिक जटिल है। EU के सदस्य देशों ने व्यापार, सुरक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सामूहिक निर्णय लिए हैं, जिससे उनकी संप्रभुता का एक हिस्सा यूरोपीय संस्थाओं के पास चला गया है। हालांकि, इन देशों ने अपनी संप्रभुता के कुछ हिस्से को साझा करने के बावजूद, अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने की कोशिश की है, जैसे कि BREXIT उदाहरण में देखा गया।

सीरिया:

सीरिया में चल रहे संघर्ष के कारण संप्रभुता की अवधारणा और बाहरी हस्तक्षेप की जटिलताएँ उजागर हुई हैं। सीरिया सरकार ने अपने देश के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को अस्वीकार किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराधों के कारण हस्तक्षेप किया। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि संप्रभुता की रक्षा में कभी-कभी वैश्विक मानवीय मानकों का पालन भी आवश्यक होता है।

4. सांख्यिकीय डेटा (Statistical Data):

वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी:

वैश्विक व्यापार में देशों की हिस्सेदारी और व्यापार समझौतों के आंकड़े यह दिखाते हैं कि किस प्रकार वैश्विक संस्थाएँ और संस्थागत साझेदारियाँ संप्रभु राष्ट्रों की नीति पर प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के तौर पर, वर्ल्ड बैंक और IMF के डेटा से पता चलता है कि भारत, चीन और अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक व्यापार संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

विदेशी निवेश के आंकड़े:

विदेशी निवेश (FDI) डेटा यह दर्शाता है कि संप्रभु देशों की आर्थिक संप्रभुता पर वैश्विक कंपनियों का दबाव बढ़ रहा है। देशों को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों को वैश्विक मानकों के अनुसार ढालना पड़ता है।

डेटा गोपनीयता उल्लंघन के मामले: डेटा गोपनीयता उल्लंघन और साइबर हमले संप्रभुता के नए खतरे के रूप में उभरे हैं।

उदाहरण के रूप में, पर्सनल डेटा सुरक्षा

बिल (भारत) और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (EU) के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि डेटा सुरक्षा को लेकर वैश्विक नियमों का पालन करना संप्रभु देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

डेटा विश्लेषण

1. भारत में संप्रभुता की सीमाएँ:

भारत में संप्रभुता की सीमाएँ वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की नीतियों से प्रभावित हो रही हैं। WTO (विश्व व्यापार संगठन) की नीतियाँ भारत की कृषि और औद्योगिक नीतियों पर प्रभाव डालती हैं। भारत को कृषि क्षेत्र में अपनी सब्सिडी नीति और व्यापारिक प्रतिबंधों में सुधार करना पड़ता है, क्योंकि WTO के नियम व्यापार को मुक्त बनाने और सदस्य देशों के बीच समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। इसी तरह, IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) द्वारा जारी ऋण की शर्तें भारत की वित्तीय नीतियों को प्रभावित करती हैं, जैसे कि खर्चों में कटौती, संरचनात्मक सुधार और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। इसके अलावा, भारत को वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों में भी अपनी संप्रभुता का संतुलन बनाए रखना होता है, जैसे कि पेरिस समझौता, जिसमें भारत को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बाध्यता दी गई है। यह संप्रभुता की सीमा को प्रभावित करता है, क्योंकि भारत को अपनी विकास नीतियों को वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाना पड़ता है, जो कभी-कभी उसके आंतरिक विकास के लक्ष्यों से टकराते हैं।

2. यूरोपीय संघ:

यूरोपीय संघ (EU) में संप्रभुता की परिभाषा कुछ अलग है, क्योंकि इसके सदस्य देशों की राजकोषीय नीतियाँ ब्रुसेल्स द्वारा नियंत्रित होती हैं। यूरोपीय संघ के भीतर सदस्य देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों और निर्णयों का एक हिस्सा साझा किया है, ताकि एक मजबूत और संगठित यूरोपीय बाजार बना रहे। हालांकि, इस सहयोग के बावजूद, प्रत्येक सदस्य देश अपनी आंतरिक नीति में स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश करता है। Brexit इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां ब्रिटेन ने अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया। यह घटना यह दर्शाती है कि किस प्रकार किसी देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वैश्विक संगठन से बाहर निकलने के फैसले लेने पड़ सकते हैं, यदि उसे लगता है कि उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर समझौता किया जा रहा है।

3. सीरिया और विदेशी हस्तक्षेप:

सीरिया के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि संप्रभुता कैसे विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकती है। अमेरिका, रूस, ईरान जैसे देशों का सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न केवल सीरिया की सुरक्षा नीति को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी संप्रभुता की अवधारणा पर भी सवाल उठाता है। यह हस्तक्षेप सीरिया की राजनीतिक स्वतंत्रता को बाधित करता है, और देश को वैश्विक शक्तियों के बीच एक मोहरे के रूप में बदल देता है। इसके अलावा, जब मानवीय संकट उत्पन्न होते हैं, जैसे सीरिया में गृह युद्ध, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय मानवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इस प्रकार, संघर्षों और मानवीय संकटों में संप्रभुता का उल्लंघन बढ़ता है, क्योंकि कई बार देशों को अपनी संप्रभुता को दूसरे देशों और संगठनों के लिए खोलना पड़ता है।

4. डिजिटल हस्तक्षेप:

डिजिटल संप्रभुता एक उभरती हुई चुनौती है, जिसे विदेशी कंपनियाँ जैसे Google, Meta (Facebook), TikTok और अन्य वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से सामना किया जा रहा है। ये कंपनियाँ भारत जैसे देशों में डेटा इकट्ठा करती हैं, जो उनके राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों के अनुरूप नहीं होते। इस प्रकार, ये कंपनियाँ अपनी नीतियों के तहत वैश्विक स्तर पर डेटा को संचालित करती हैं, जिससे राष्ट्रों की डिजिटल संप्रभुता पर सवाल उठते हैं। उदाहरण स्वरूप, भारत में डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर कई बार डिजिटल हस्तक्षेप देखा गया है। इसके अलावा, डिजिटल संप्रभुता का उल्लंघन तब भी होता है जब विदेशी कंपनियाँ अपने देश की नीतियों के अनुरूप डेटा को नियंत्रित करती हैं, जो कि उस राष्ट्र की डिजिटल नीति के खिलाफ होता है। इस प्रकार, देशों को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए डिजिटल दायित्वों और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करना पड़ता है, जिससे वैश्विक डिजिटल कंपनियों का प्रभाव सीमित हो सके।

निष्कर्ष

अध्यान के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण के युग में संप्रभु राष्ट्रों की भूमिका अब भी महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उनकी संप्रभुता पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रह गई है। वैश्विक संस्थाएं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, WTO, IMF, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने राष्ट्रों को वैश्विक नियमों में बाँध लिया है, जिससे उनके आंतरिक निर्णयों पर बाहरी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक निर्भरता, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते देशों की नीति-निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, और राष्ट्र अब केवल अपनी आंतरिक नीतियों पर निर्णय नहीं ले सकते। इसके अलावा, साइबर स्पेस और तकनीकी एकाधिकार, जैसे कि डिजिटल कंपनियों द्वारा डेटा संग्रहण, राज्य की सीमाओं को अप्रासंगिक बना रहे हैं, और वैश्विक डिजिटल नेटवर्क का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार, आधुनिक संप्रभुता एक सापेक्ष अवधारणा बन गई है, जो अब पूर्ण शक्ति के रूप में नहीं बल्कि "वैश्विक जिम्मेदारियों और घरेलू अधिकारों के संतुलन" के रूप में उभरती है, जिसमें देशों को अपनी संप्रभुता का संरक्षण करते हुए वैश्विक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को भी स्वीकार करना पड़ता है।

संदर्भ सूची

1. वाजपेयी, अटल बिहारी (2004). *अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा*, नई दिल्ली: लोकभारती प्रकाशन।
2. त्रिपाठी, के.के. (2018). *राजनीतिक सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय संबंध*, नई दिल्ली: गोपाल पब्लिकेशन।
3. दुबे, एस.सी. (2009). *वैश्वीकरण और भारतीय समाज*, नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन।
4. भारत सरकार (2020). *विदेश नीति वार्षिक रिपोर्ट*, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. WTO (2020). *भारत और विश्व व्यापार संगठन पर वार्षिक रिपोर्ट*, नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय।
6. जोशी, मोहनलाल (2015). *संप्रभुता और समकालीन विश्व व्यवस्था*, इलाहाबाद: विद्या भवन।
7. शुक्ला, आर.के. (2017). *अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत*, मेरठ: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन।
8. जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता (2015), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हिंदी अनुवाद संस्करण।
9. IGNOU अध्ययन सामग्री (2021). *अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय*, दिल्ली: इग्नू।
10. यादव, हेमराज (2020). *वैश्वीकरण और भारत की विदेश नीति*, जयपुर: यूनिक पब्लिकेशन।
11. भारतीय सांख्यिकी संस्थान (2021). *डिजिटल संप्रभुता पर रिपोर्ट*।
12. चौधरी, नीरज (2021). *राष्ट्र राज्य और वैश्वीकरण*, पटना: प्रभात प्रकाशन।
13. "द हिंदू" हिंदी संस्करण – अंतरराष्ट्रीय मामलों पर लेख संग्रह (2021)।
14. "इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली" (EPW) – हिंदी सार-संक्षेप और विश्लेषण (चयनित अंक)।